न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2845/II/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2014 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी जिला अशोकनगर – 15 अ 74/2013–14 स्वमेव निगरानी

राजकुमार सिकरवार (मृतक) पुत्र कुन्दन सिंह

वारिस

1– श्रीमती उषा सिकरवार पत्नि स्व.राजकुमार

2– शिवप्रताप सिंह सिकरवार पुत्र स्व.राजकुमार
निवासी पंचमनगर कालोनी, चंदेरी
कृषक ग्राम गोधन तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश

3– श्रीमती कृष्णा तोमर पत्नि अजयप्रताप
पुत्री स्व.राजकुमार सिकरवार
निवासी तालपुरा जिला ललितपुर उ.प्र.

4– श्रीमती मीनाक्षी कुशवाह पत्नि संदीपसिंह
पुत्री स्व. राजकुमार सिकरवार निवासी
बी–807 आनन्दनगर ग्वालियर,म0प्र0 -----आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा एस0डी0ओ0चंदेरी
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश -----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री लखनसिंह धाकड़)
(अनावेदकगण की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी द्वारा प्रकरण कमांक 15 अ 74/13–14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसीलदार चंदेरी जिला अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 45 बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 25.3.2013 से आवेदक को ग्राम गोधन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 116/1 में से रकबा 0.105 है. का पटटा म0प्र0वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) के अंतर्गत प्रदान किया। अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण का परीक्षण करने पर पटटे नियमानुसार नहीं दिया जाना परिलक्षित होने से स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.01.2014 पारित करके आवेदक के हित में तहसीलदार व्दारा जारी पटटा आदेश दिनांक 25.3.2013 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 45 बी 121/2012-13 के अवलोकन पर पाया गया कि यह सही है कि आवेदक एंव अन्य ग्रामीण ने तहसीलदार चंदेरी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि वह ग्राम गोधन के कास्तकार हैं तथा भूमि सर्वे क्रमांक 116/1 पर उनके 10 से 15 वर्षो पूर्व से मकान बने हुये हैं जिस पर कब्जे के अनुसार भूमि का आवंटन कर दिया जावे। तहसीलदार चंदेरी ने आवेदनों पर प्रकरण क्रमांक 45 बी 121/2012-13 पंजीबद्ध किया है तथा अधिनियम में विहित प्रावधानानुसार प्रारूप

(ख) नियम 4 के अंतर्गत इस्तहार का प्रकाशन कराया है। इस्तहार की एक प्रति ग्राम के पटैल को, एक प्रति कोटवार को देकर ग्राम में डोढ़ी पिटवाई है तथा एक प्रति गाम पंचायत को दी गई है। अर्थात इस्तहार का प्रकाशन विधिवत् होना पाया गया, जिसके कारण तहसीलदार चंदेरी व्दारा अपनाई गई प्रकिया में दोष प्रतीत नहीं होता है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने तहसीलदार चंदेरी के आदेश दिनांक 25.3.13 को इस आधार पर निरस्त किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 पिता पुत्र को भूखंड आवंटित किये गये हैं, जबकि अनावेदक ने बताया है कि पिता एंव पुत्र दोनों अपने अपने हिस्से की भूमि लेकर अलग अलग मकान बनाकर रह रहे है इसलिये उन्हें मकान बनाकर काविज की गई भूमि का पटटा अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने पटटा निरस्तीकरण हेतु दूसरा आधार यह लिया है कि अनावेदकगण भूमिहीन हैं अथवा नहीं ? यह जांच तहसीलदार ने नहीं की है, जबकि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर दिनांक 9.1.14 प्रस्तुत किया है उसमें लिखकर बताया है कि आवेदित भूमि पर उसका कब्जा वर्ष 1975 से वासस्थान के रूप में चला आ रहा है क्योंकि वह ग्राम गोधन के कास्तकार हैं तथा कास्तकार होने के कारण कृषि यंत्र रखने, कृषि भूमि को देखने आने-जाने पर रात्रि रूकने के लिये पूर्वजों व्दारा मकान बनाया गया था जिस स्थान का पटटा अधिनियम के अंतर्गत मांगा गया है। जब आवेदक स्वयं् स्वीकार कर रहा है कि वह भूमिहीन नहीं है एंव ग्राम गोधन में कृषि भूमि का धारक है तथा उसके पूर्वजों ने कृषि यंत्र रखने, कृषि भूमि को देखने आने-जाने पर रात्रि रूकने के

लिये मकान बनाया है, जब अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार व्दारा भूमि होने अथवा न होने की जांच न करने को आधार बनाकर उनके व्दारा लिया गया निर्णय स्वतः बेबुनियाद है क्योंकि वादग्रस्त भूखंड का आवंटन कृषि भूमि का आवन्टन का नहीं है अपितु मूल मामला तहसील न्यायालय में म0प्र0वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वासस्थान के आवंटन का है। अतः उक्त सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी व्दारा वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकालकर तहसीलदार चंदेरी के आदेश दिनांक 25.3.13 को निरस्त करना से उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण कमांक 45 बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 25.3.2013 को स्वस्तर से स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करते हुये निरस्त किया है। क्या अनुविभागीय अधिकारी को म0प्र0वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा-6 में प्रावधान है कि वासस्थान की भूमि के आवंटन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर को होगी। धारा-7 में प्रावधान है कि कलेक्टर व्दारा पारित आदेश अंतिम होगा, किन्तु राजस्व मण्डल किसी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर कलेक्टर के अपीलीय आदेश को अथवा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की कार्यवाही की नियमितताओं के बारे में समधान को अधीनस्थों के अभिलेख को बुला सकेगा एंव परीक्षण का तदाशय का आदेश पारित कर सकेगा। परिलक्षित है कि

अनुविभागीय अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के वाहर जाकर स्वमेव निगरानी प्रकरण स्वस्तर से दर्ज करके तहसीलदार चंदेरी के आदेश दिनांक 25.3.2013 को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा प्रकरण क्रमांक 15 अ 74/13-14 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 अधिकार क्षेत्र की परिधि में न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 15 अ 74/13-14 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर